मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004 (श्रावण 5, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1714-म.प्र.वि.नि.-04, दिनांक 25 जून, 2004 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पारस जैन, सदस्य, म.प्र. शासन द्वारा भूमि सीमा अधिनियम समाप्त किये जाने के बाद भी कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजवर्धन सिंह "*दत्तीगांव*", ठा. सोबरन सिंह 'बाबूजी", *श्री* उम्मेद सिंह बना, सदस्य, बदनावर एस.डी.एम के विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा दर्ज प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4 याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ओम प्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के बदरवास एवं बिजरौनी ग्राम के बीच सिंध नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
- (क) चौरई नगर में डिवाईडर मार्ग बनाये जाने,
- (ख) ग्राम समसवाड़ा में कन्या माध्यमिक शाला खोले जाने,
- (ग) ग्राम सिरस में पेंच नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (घ) ग्राम मोहगांव कला में निस्तारी तालाब बनाये जाने,
- (ङ) ग्राम झिरिया से पांजरा तक सड़क बनाये जाने, तथा
- (च) ग्राम जुरतरा स्थित निस्तारी तालाब का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
- (क) ग्राम तोर में कन्या माध्यमिक शाला खोले जाने,
- (ख) ग्राम देवगढ़, खांडोली, बघपुरा (जखौना) आदि ग्रामों को चंबल नदी के कटाव से बचाये जाने,
- (ग) ग्राम बागचीनी मार्ग से बरौली तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (घ) ग्राम गौसपुर एवं मृगपुरा की कृषि भूमि को दलदल होने से बचाये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम मोघना से बागचीनी तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम कसाई देहरिया स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने,
(5) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम बजाखेड़ी के कृषकों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा-चकरपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(7) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले के छपारा नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने,
(8) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम सोनखेड़ा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
- (ख) मोरा खोयरा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(9) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के -
- (क) ग्राम विक्रमपुर के पास परा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (ख) टौरिया-सूरजपुरा-सेहफाल पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ग) ग्राम धमौरा से टुरिया तक पंहुच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (घ) राजनगर- छतरपुर मार्ग के चौबर नाला पर पुल बनाये जाने,

(10) श्री विजयबहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम गौरिहार स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(ख) नगर पंचायत बारीगढ़ में पेयजल टंकी बनाये जाने,

(ग) ग्राम हथौहा से चन्दला तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम हिनौता से चन्दला तक सड़क बनाये जाने, एवं

(11) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम हतुनिया में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम लटूसा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम अफजलपुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(12) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम जसो स्थित कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम जसो के पास नाले पर पुल बनाये जाने,

(ग) ग्राम जसो में स्टेडियम बनाये जाने,

(घ) ग्राम जसो में कृषि उपज मंडी बनाये जाने,

(ङ) ग्राम जसो की जल प्रदाय योजना का नवीनीकरण कराये जाने, तथा

(च) नगर पंचायत कोठी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वन मंत्री का वक्तव्य

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री, मध्यप्रदेश औषधि एवं सुगंधित पौध विकास रणनीति के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन)विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004) के पुरः*स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.*

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
	(1)	मांग संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण
1 घन्टा		मांग संख्या - 77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-खेल एवं युवक कल्याण.
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या - 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण
		मांग संख्या - 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या - 25	खनिज साधन
		मांग संख्या - 32	जनसंपर्क.
1 घन्टा	(6)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या - 64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघव जी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) का पुरःस्थापन * करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 जुलाई, 2004

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.